He Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II — Section 3 — Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

 H.
 452]

 No.
 452]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 3, 2002/आश्विन 11, 1924 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 2002/ASVINA 11, 1924

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2002

सा.का.नि. 677(अ).— केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप धारा (6) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए क्रमशः (i) श्री संजय मेहता, प्रबन्ध निदेशक, इसार शिपिंग लि. मुंबई, तथा (ii) श्री पी. एन. सूरी, प्रबन्ध निदेशक, हंसा एजेंसी प्रा. लि. को क्रमशः अन्य हितों (निर्वाचित श्रेणी) तथा शिपर्स केंग प्रतिनिधित्व करने के लिए कांडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासियों के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 24-6-2002 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 446(अ) दिनांक 26-6-2002 की संख्या सा. का. नि. 455(अ) दिनांक 16-7-2002 की सं. सा. का. नि. 502(अ) के साथ पठित दिनांक 29 मई, 2002 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 391(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

- 2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 15 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—
 - 16. श्री संजय मेहता, प्रबंध निदेशक, इसार शिपिंग लि. इसार हाऊस, 11, के. के. मार्ग, रेस कोर्स, महालक्ष्मी, मुंबई-400034
 - 17. श्री पी. एन. सूरी, प्रबन्ध निदेशक, हंसा एजेंसी प्रा. लि., पी एच डी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, पी एच डी हाउस, एश्यिन खोल गाँव, नई दिल्ली-110016

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप धारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के अन्तर्गत ''अन्य हितों'' (निर्वाचित श्रेणी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप धारा (1) के खंड (π) के उपखंड (π) के अन्तर्गत "शिपर्स" का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

[फा. सं. पी.टी.-18011/11/2001-पी.टी.]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

cw Delhi, the 3rd October, 2002

G.S.R. 677(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints (i) Shri Sanjay Mehta, Managing Director, Essar Shipping Ltd., Mumbai; and (ii) Shri P.N. Suri, Managing Director, Hansa Agencies Pvt. Ltd. as Trustees to represent Other Interests (in elected category) and Shippers respectively on the Board of Trustees for the port of Kandla and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing) No. G.S.R. 391(E) dated 29th May, 2002, read with No. G.S.R. 446(E) dated 24-6-2002, No. G.S.R. 455(E) dated 26-6-2002 and No. G.S.R. 502(E) dated 16-7-2002.

2. In the said Notification after serial number 15 and the entry relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

16.	Shri Sanjay Mehta, Managing Director,
•	Essar Shipping Ltd., Essar House, 11, K.K. Marg,
	Opp Race Course, Mahalaxmi, Mumbai-400034

Representing "Other Interests" (in the elected category) under sub-clause (ii) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of Major Port Trusts Act, 1963.

 Shri P.N. Suri, Managing Director, Hansa Agencies Pvt. Ltd., PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, Opp. Asian Games Village, New Delhi-110016. Representing "Shippers" under sub-clause (ii) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of Major Port Trusts Act, 1963.

[F No. PT-18011/11/2001-PT]

R. K. JAIN, Jt. Secy.